

न्यायालय, अपर समाहर्ता गुमला

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

नंद राम लोहरा वगै०

बनाम

बैजनाथ साहु वगै०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :- 18/2017-18


वाद का प्रकार :- विविध वाद (Misc.Case)

यह वाद उपायुक्त गुमला के न्यायालय से हस्तांतरित हो कर सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी श्री नंद राम लोहरा पिता-स्व० जयपाल लोहरा वगैरह ग्राम-उमडा तेलाडीह थाना-पालकोट जिला-गुमला के द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 के उलघन व अनियमितता के आलोक में विविध वाद दाखिल किया गया है।

अभिलेख फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद से कोई अभिरुची नहीं रह गई है।

अतः अपील वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

  
अपर समाहर्ता,  
गुमला

  
अपर समाहर्ता,  
गुमला